अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 31 मार्च, 2020 को जारी किया गया। अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट, 2004 में संशोधन करता है। एक्ट में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम करने के वार्षिक लक्ष्यों का प्रावधान है। अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- **राजकोषीय घाटे के लक्ष्य:** एक्ट में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर राज्य एक निर्दिष्ट सीमा तक अपने ऋण और ब्याज भुगतान को नियंत्रित रख सकता है, तो इस सीमा में अधिकतम 3.5% की ढिलाई दी जा सकती है। अध्यादेश एक्ट में संशोधन करता है और राज्य सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे की 3% की अधिकतम सीमा से अधिक 10,570 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उधार ले सकती है।
- **कुल ऋण स्टॉक**: एक्ट में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल ऋण स्टॉक (पिछले वर्षों में जमा हुआ ऋण) को जीएसडीपी के 30% पर बरकरार रखा जाएगा। अध्यादेश इस 30% की सीमा को 10,570 करोड़ रुपए बढ़ाता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अखिल एन.आर.
akhil@prsindia.org

19 अगस्त, 2020